

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल, एवं समुचित सरकार,

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक 19 अ/82 वर्ष 2017-18 मौजा खम्बारा 1096² बैतूल दिनांक 07-08-2018

घोषणा

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा हे.	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	खम्बारा	13.870	खम्बारा लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

अ0क्र0	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में	अर्जन की भूमि का रकबा हे0 में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	278/1	3.640	1.740	भागरती रम्फूला पिता चैतू बुल्लो बेवा चैतू चैती पिता अमरसिंग गोंड सा.देह भूमि स्वामी
2	278/2	3.641	1.990	पंचतराव वल्द झुम्मक झनुरा पिता झुम्मक हिरोती बेवा झुम्मक गोंड सा. देह भूमि स्वामी
3	277	4.994	2.100	अमरलाल, अमृतलाल वल्द रावजी झमोता पिता रावजी गंगासिंग गंगाराम वल्द बापूलाल अनीता मन्तो पिता बापूलाल सा.देह भूमि स्वामी
4	276	1.538	0.730	भूता वल्द श्यामजी सा.देह भूमि स्वामी
5	274	1.283	0.320	श्यामजी वल्द मानू रसिया, रमिया पिता मानू गोंड सा. देह भूमि स्वामी
6	273	3.326	0.450	कौशल जौ. हरि प्रमिला जौ. भूरा पंवार सा.देह भूमिस्वामी

अ.क्र०	खसरा नम्बर	रकबा हे० में	अर्जन की भूमि का रकबा हे० में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
7	214/1	9.009	0.070	इनलेक्ट इन्फ्रास्टेकचर्स आफिस फ्लेट न.201 सप्तश्रृंगी अपार्टमेंट छत्रपति नगर रिंग रोड नागपुर महाराष्ट्र भूमिस्वामी
8	206/2	1.214	0.130	संतोष अंकुश वल्द लखन पंवार सा.देह भूमिस्वामी
9	204	5.500	0.200	तुलसीराम, राजेराम, परसराम पिता घासीराम, कौशल निर्मला, सुमित्रा प्रमिला पिता घासीराम भोयर सा.देह भूमि स्वामी
	205	0.162	0.162	
	2	5.662	0.362	योग
10	282/5	0.179	0.179	मधु वल्द बाबु मेंहरा सा.देह भूमि स्वामी
	280/5	0.487	0.090	
	2	0.666	0.269	योग
11	282/4	0.179	0.179	कृष्णा वल्द बाबू मेहरा सा. देह भूमि स्वामी
	280/4	0.487	0.120	
	2	0.666	0.299	योग
12	282/3	0.178	0.178	शिवनाथ वल्द बाबू मेहरा सा.देह भूमिस्वामी
	280/3	0.489	0.125	
	2	0.665	0.303	योग
13	282/1	0.178	0.178	श्री वल्द बाबू मेहरा सा.देह भूमि स्वामी
	280/1	0.487	0.125	
	2	0.665	0.303	योग
14	280/2	1.949	1.480	कचराबाई पिता बाबू बेला बेवा बातू मूसिया पति तुकाराम शशांती बेवा भादू सुशिला पति बिरजलाल सुनिता पति श्री मेहरा सा. देह भूमि स्वामी
	282/2	0.714	0.714	
	2	2.663	2.194	योग
15	284	5.204	2.560	रमोती बेवा हिराजी भागरती पिता हिराजी झनको बेवा राखी रमनी, राजाराम वल्द राखी रन्तू रत्ना पिता राखी गोंड सा. देह भूमि स्वामी
16	203/2	1.800	0.050	भाऊराव वल्द दसरू गोंड सा.देह भूमि स्वामी
महा योग		46.638	13.870	

(2)– चूंकि खम्बारा लघु जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने स धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3)– भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

(4)– समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,





(शशांक मिश्र)

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्रतिलिपि:-

- 1- उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अर्पित।
- 2- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अर्पित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।
- 3- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई की ओर सूचनार्थ अर्पित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन की पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 4- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अर्पित ।
- 5- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अर्पित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरपा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अर्पित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरपा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- तहसीलदार मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) में अर्पित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चरपा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अर्पित । प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 9- सरपंच/सचिव ग्राम खम्बारा ग्राम पंचायत खम्बारा तहसील मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अर्पित ।


 कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार
 मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग